विधान सभा सचिवालय
मध्यप्रदेश
स मा चा र

मध्यप्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा ने किया हिमाचल प्रदेश विधान सभा की ई-विधान प्रणाली का अवलोकन

भोपाल, दिनांक 22 जून , 2015.

मध्यप्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल से सौजन्य भेंट कर वहां की ई-विधान प्रणाली केन्द्र का अवलोकन कर जानकारी प्राप्त की । इस अवसर पर आयोजित बैठक के दौरान हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष श्री बुटेल ने बताया कि ई-प्रणाली की स्थापना पर लगभग 8.12 करोड़ रूपये का व्यय भार आया है उक्त राशि अनुदान के रूप में भारत सरकार से प्राप्त हुई है ।

इस अवसर पर मध्यप्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष डॉ. शर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश विधान सभा में भी इस ओर पहल करते हुए अनेक संसदीय प्रक्रियाओं का कार्य ऑन लाइन कर दिया गया है । जिससे समय, श्रम और धन की बचत हो रही है, वहीं विधान सभा सदस्यों, सरकार और सचिवालय को भी बहुत सुविधा हुई है । डॉ. शर्मा ने यह भी जानकारी दी कि मध्यप्रदेश विधान सभा में इस व्यवस्था को प्रारंभ करने में अब तक कोई व्यय नहीं हुआ है, क्योंकि पूरा कार्य राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के माध्यम से कराया गया है । उन्होंने यह भी बताया कि ई-प्रणाली से सचिवालय में 'लेस पेपर' कार्यवाही संभव हुई है और मध्यप्रदेश विधान सभा को 'पेपर लेस' सचिवालय बनाये जाने की प्रक्रिया में अग्रसर है, हिमाचल प्रदेश विधान सभा में ई-विधान प्रणाली व्यवस्था के जिन फीचर्स का अवलोकन किया है उसका अनुशीलन मध्यप्रदेश विधान सभा में भी किया जाएगा ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला में आयोजित बैठक में दोनों विधान सभाओं के अध्यक्ष सहित मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रमुख सचिव श्री भगवानदेव ईसरानी, अन्य वरिष्ठ अधिकारी, एन आई सी के अधिकारी एवं हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सचिव श्री सुन्दर सिंह वर्मा तथा वहां के निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी श्री धर्मेश शर्मा उपस्थित थे । उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष, प्रमुख सचिव एवं अन्य अधिकारी हिमाचल प्रदेश विधान सभा की ई-विधान प्रणाली का अध्ययन करने के लिए शिमला प्रवास पर हैं ।

इस मौके पर डॉ.सीतासरन शर्मा ने हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष को स्मृति चिन्ह भेंट कर मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रवास हेतु निमंत्रित भी किया है ।

म.प्र./वि.स./ज.स./15

(मुकेश मिश्रा)
सूचना अधिकारी